Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5429/2006/बून्दी फकीर मौहम्मद व अन्य बनाम सुल्तान मौहम्मद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित–
श्री नरेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय
दिनांकः– 23-05-2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थीगण/वादीगण का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया है।

पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने ग्राम देलून्दा तहसील व जिला बून्दी स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 1023 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा संख्या 1082 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा नहरी दोयम भूमि के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 के तहत अप्रार्थीगण व राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने प्रकरण संख्या 218/2000 बउनवान फकीर मौहम्मद वगैरहा बनाम सुल्तान मौहम्मद वगैरहा संस्थित किया। उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5429/2006/बून्दी फकीर मौहम्मद व अन्य बनाम सुल्तान मौहम्मद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद में न्यायालय ने वादीगण को एक वर्ष तक साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बावजूद अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण आदेशिका दिनांक 17-3-2004 से साक्ष्य वादीगण बंद कर दी। उक्त बंद की गई साक्ष्य को पुनः खोलने बाबत प्रार्थीगण ने दिनांक 18-8-2004 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से खारिज कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आलोच्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में मुख्य रूप से विवेचित किया गया है कि गत पेशी 17-3-2004 के पूर्व वादी वाहन दुर्घटना में घायल हो गया था, उसके शरीर पर घातक चोटें होने के कारण तीन महीने तक उसका ईलाज हुआ, उसके पश्चात घर पर रहकर वादी फकीर मौहम्मद ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस कारण न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक 17-3-2004 को उपस्थित नहीं हो सका था, इसलिए वादी की अनुपस्थिति के कारण साक्ष्य वादी बंद कर दी गई। आक्षेपित आदेश दिनांक 11-7-2006 में विवेचित किया गया है कि दिनांक 04-4-2003 से एक वर्ष तक अवसर दिए जाने के बावजूद भी वादी ने सूची गवाह पेश नहीं किए। इस पर दिनांक 17-3-2004 को वादी साक्ष्य बंद की गई है। निगरानी में अभिवचित वचनों के आधार पर कि वाहन दुर्घटना में वादी का घायल होकर तीन माह तक उपचाररत रहने के कारण नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। **<u>आर.आर.टी. 2008 (2) पृष्ठ 899</u>** Code of Civil Proceedure, 1908 - Order 18 Rule 1,2,3,17 &	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5429/2006/बून्दी फकीर मौहम्मद व अन्य बनाम सुल्तान मौहम्मद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Sec. 151 - Plaintiff's evidence closed - Petitioner filed an application to allow to adduce evidence but rejected - Bonafide mistake of the counsel - Suit is for recovery or rupees 15,31,000 - Held, Granting one more opportunity to produce the evidence is justified . **आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 379** Code of Civil Proceedure, 1908 - Order 18 Rule 2(3) and 3- Plaintiff' closed the evidence with right to produce evidence in rebuttal - Trial Court deprived the plaintif from the rebuttal evidence - Held, Order is not justified and set aside. उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों की रोशनी में तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में व वादीगण की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम न्यायहित में प्रार्थीगण को कॉस्ट की राशि के अधिरोपण के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अन्तिम अवसर दिया जाना उचित समझते है। जिससे कि पक्षकारान के मध्य भविष्य में और अधिक वाद बाहुल्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी को कॉस्ट की राशि के साथ स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी को न्यायहित में रूपये 2,000/- (दो हजार रूपये) की कॉस्ट अधिरोपण के साथ स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2006 को निरस्त किया किया जाता है। प्रार्थीगण/वादीगण अधिरोपित की गई उक्त कॉस्ट की राशि अप्रार्थीगण को निर्धारित आगामी तारीख पेशी पर अदा करें। तदनुसार प्रार्थीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि फिर भी प्रार्थीगण द्वारा कोई चूक की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन वाद में आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5429/2006/बून्दी फकीर मौहम्मद व अन्य बनाम सुल्तान मौहम्मद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक .... को वास्ते वादीगण साक्ष्य हेतु निर्धारित किया जाता है तथा उभयपक्ष तदनुसार सूचित हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा)** **सदस्य**	